

# UNIVERSITY OF PATANJALI, HARIDWAR

दिनांक 06.03.2024 को हुई 11वीं विद्या परिषद की बैठक में अनुमोदित

कम उपस्थिति ( Short Attendance) के कारण परीक्षा में बैठने पर रोक ( DETAIN ) छात्र/छात्राओं हेतु नियमावली

1. एक शैक्षणिक सत्र दो सेमेस्टर (विषम और सम सेमेस्टर) या एक वर्षीय पाठ्यक्रम/ अन्य का होता है। छात्र/छात्राओं के उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारम्भ से या उनके प्रवेश तिथि से जो बाद में होगा उससे प्रारम्भ होगी।
2. कम उपस्थिति (75% से कम) के कारण परीक्षा में ना बैठने देने (Detain) वाले छात्र/छात्राएं फेल की श्रेणी में नहीं आयेंगे।  
**स्पष्टीकरण**-अगर कोई भी छात्र/छात्रा कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो वह फेल नहीं माना जाएगा क्योंकि फेल परीक्षा में बैठने पर पास अंक न प्राप्त करने पर होता है।

कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में न बैठने (DETAIN) छात्र/छात्राओं के लिए निम्न नियम लागू होंगे-

- a. ऐसे छात्र/छात्राएं जो विषम सेमेस्टर(ODD Semester) की परीक्षा में बैठने से रोके गए हैं तो उनके पास अवसर होगा कि वह सम सेमेस्टर की पढ़ाई करें और उसे पूर्ण करें तथा अगले वर्ष विषम सेमेस्टर (ODD Semester) में पुनः प्रवेश लेकर अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं या पूरे सत्र को छोड़कर अगले वर्ष पुनः प्रवेश लेकर दोनों सेमेस्टर (विषम व सम सेमेस्टर) की पढ़ाई कर पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। या ऐसे छात्र/छात्राएं जिनकी उपस्थिति विषयवार 75 प्रतिशत से कम है और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो उनके लिए अगले वर्ष में पढ़ने का अवसर होगा परन्तु ऐसे छात्र/छात्राएं अगले वर्ष के विषम सेमेस्टर (ODD Semester) में कम उपस्थिति के कारण रोके गए विषयों की अतिरिक्त कक्षा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत की उपस्थिति पूरी कर परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्व वर्ष के विषम व सम सेमेस्टर को मिलाकर विश्वविद्यालय नियमानुसार बनाया जायेगा।
  - b. ऐसे छात्र/छात्राएं जो कम उपस्थिति के कारण सम सेमेस्टर (Even Semester) की परीक्षा में बैठने से रोके (DETAIN) गये हैं उनके लिये अगले वर्ष में अवसर होगा कि वे केवल सम सेमेस्टर (Even Semester) में पुनः प्रवेश लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं या अगले वर्ष पुनः प्रवेश लेकर विषम सेमेस्टर व सम सेमेस्टर (दोनों सेमेस्टर) की परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। या ऐसे छात्र/छात्राएं जिनकी उपस्थिति विषयवार 75 प्रतिशत से कम है और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो उनके लिए अगले वर्ष में पढ़ने का अवसर होगा परन्तु ऐसे छात्र/छात्राएं अगले वर्ष के सम सेमेस्टर (Even Semester) में कम उपस्थिति के कारण रोके गए विषयों की अतिरिक्त कक्षा करनी होगी तथा 75 प्रतिशत की उपस्थिति पूरी कर परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम पूर्व वर्ष के विषम व सम सेमेस्टर को मिलाकर विश्वविद्यालय नियमानुसार बनाया जायेगा।
  - c. ऐसे छात्र/छात्राएं जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे हैं और कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोके गए (DETAIN) हैं तो ऐसे छात्र/छात्राएं अगले सत्र में पुनः प्रवेश लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं।
  - d. ऐसे छात्रों का परिणाम पास/ पुनर्परीक्षा/ फेल विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही बनेगा यानि किसी भी विषयों में उत्तीर्ण होने हेतु पास अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
3. विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा कम उपस्थिति वाले (DETAIN) छात्र/छात्राओं की विशेष अवसर प्रदान किया जा सकता है।



# UNIVERSITY OF PATANJALI, HARIDWAR

## 2. Rules for Detained Students

1. An academic year consists of two semesters (Odd & Even Semesters) or one year/or other. Attendance of the student shall be counted from the date of admission in the university or start of academic session whichever is later in the given semester/year/or other.
2. The term DETAIN is defined as- Students whose attendance is less than 75% in a given semester/year/or other shall not be eligible for appearing in the examination shall be DETAIN student.

For such students following rules shall be apply-

- a. Those students are DETAINED in ODD semester examination shall be given an option to choose either to discontinue the study in EVEN semester and abandoned the entire academic year (both semester) and repeat the entire year course in the next academic year OR to abandon only the ODD semester. If the students chooses to abandon the relevant semester (ODD semester) only he/she shall be opportunity to continue his/her study in EVEN semester, then he/she will have to study only ODD semester (in which the student was detained) in the subsequent academic year as a re-admitted student. OR if the students are detained subject wise in ODD semester shall be option to complete the subject by attending extra classes in ODD semester of subsequent year with fulfilment of 75% attendance. After the student appears in the odd semester examination, then his/her result will be prepared by the combining even semester of the previous year and odd semester of the attended session.
  - b. Students detained in the EVEN semester shall be given an option to choose either to abandon the entire academic year (both semester) and repeat the entire year course in the next academic year OR to abandon only the EVEN semester (in which the student was detained) and will have to take admission in the subsequent academic year (for even semester only) as a re-admitted student and may complete the course. OR if the students are detained subject wise in EVEN semester shall be option to complete the subject by attending extra classes in EVEN semester of subsequent year with fulfilment of 75% attendance.
  - c. Similarly those students are detained in one year course examination shall be repeat the entire year course. Then he/she will have to study in subsequent year as a re-admitted student and may complete the course.
  - d. The result of such students shall be declared pass/re-appear/fail as per the promotion criterion of the University rules & regulations.
3. On special condition/circumstances the Vice-Chancellor of the University may give special opportunity (special examination/or other) to the DETAINED students or may take any other decision.

*Alp*

(प्रो० ए० के० सिंह)

परीक्षा-नियन्त्रक

